



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2010/फाल्गुन 7, 1931

No. 61]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2010/PHALGUNA 7, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि./76565.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली (संशोधन), 2010" कहा जाए।

(ii) वे भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. "अर्हता मानदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 1 में उप-खंड (5) को पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

"(6) कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों को आयुर्विज्ञान कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। उक्त अनुमति वापस ली जा सकती है, यदि कॉलेज व्यापारीकरण का सहारा लेते हैं।"

4. "अर्हता मानदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"मेगा शहरों (मुम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई) और 'ए' श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में स्थित मेडिकल कॉलेजों या मेडिकल संस्थानों को छोड़कर, मेडिकल कॉलेज या मेडिकल संस्थान, कम से कम 20 एकड़ भूमि के एकात्मक परिसर में स्थित होगा। तथापि, किसी ऐसे स्थान, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों, खण्ड में उल्लिखित 9 शहरों के अलावा जहां जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, पर्वतीय क्षेत्रों, अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों पहाड़ी राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में छूट दी जा सकती है, जहां भूमि दो से अधिक टुकड़ों में नहीं होगी और भूमि के दो टुकड़ों के बीच का फासला 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। छात्रों, अंतरंग डाक्टरों, स्नातकोत्तर/अवासी डाक्टरों तथा नर्सों के लिए होस्टलों और पुस्तकालय सहित अस्पताल, कॉलेज का भवन भूमि के एक टुकड़े में होगा, जो 10 एकड़ से कम नहीं होगा। अन्य सुविधाएं, दूसरे टुकड़े में स्थित हो सकती हैं। उचित भू-दृश्य निर्माण (लैंडस्केपिंग) किया जाना चाहिए।

तथापि, मेगा शहरों (मुम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई) और 'ए' श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में मेडिकल कॉलेजों की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमत एफएआर/एफएसआई, ही एकमात्र मापदंड होगा, बशर्ते कि मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, होस्टल, आवासीय क्वार्टरों और न्यूनतम मानक

शर्त विनियमावली के अनुसार अपेक्षित अन्य अवसरचना सहित उपयुक्त अवसरचना के लिए अपेक्षित कुल निर्मित क्षेत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत, अनुमेय एफएआर/एफएसआई के आधार पर कम से कम 10 एकड़ का क्षेत्र उपलब्ध कराया जाए।”

5. “अर्हता मानदंड” शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(5) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :

“बशर्ते कि पूर्वोक्त राज्य और पर्वतीय राज्यों में 50 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले किसी आयुर्विज्ञान कॉलेज के आरंभ करने के समय अपेक्षित बिस्तारों की संख्या 200 होगी, जिसे मान्यता प्रदान करने के समय बढ़ाकर 400 बिस्तरे कर दिया जाएगा और 100 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज के आरंभ करने के समय बिस्तारों की अपेक्षित संख्या 250 होगी, जिसे मान्यता प्रदान करने के समय बढ़ाकर 500 कर दिया जाएगा।”

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव  
[विज्ञापन III/4/असाधा./100/09]

**पाद टिप्पणी** :—प्रधान नियमावली नामतः “आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999” दिनांक 28 अगस्त, 1999 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना संख्या 34(41)/98-मेडि. के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 7 अक्टूबर, 1999, 14 अगस्त, 2000, 29 जुलाई, 2008 और 22 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

### MEDICAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2010

**No. MCI. 34(41)/2009-Med./76565.**—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Establishment of Medical College Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These Regulations may be called the “Establishment of Medical College Regulations (Amendment), 2010”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Establishment of Medical College Regulations, 1999”, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In Clause 1 under the heading “eligibility criteria” the following shall be added after sub-clause (5) :—

“(6) Companies registered under Company Act may also be allowed to open medical colleges. Permission shall be withdrawn if the colleges resort to commercialization.”

4. Clause 2(2) under the heading “qualifying criteria” shall be substituted as under :—

“The medical college or medical institution shall be housed in a unitary campus of not less than 20 acres of land except in mega cities (Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai) and ‘A’ class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur). However, this may be relaxed in a place especially in Urban areas where the population is more than 25 lakhs, other than the nine cities mentioned in the Clause, hilly areas, notified tribal areas, North Eastern States, Hill States and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep, where the land shall not be in more than two pieces and the distance between the two pieces shall not be more than 10 kms. The hospital, college building including library and hostels for the students, interns PGs/Residents and nurses shall be in one piece of land which shall not be less than 10 acres. Other facilities may be housed in the other piece of land, proper landscaping should be done.

However, in mega cities (Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai) and ‘A’ class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur), the permissible FAR/FSI would be the criterion for allowing the medical colleges provided that the total built up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital, hostels, residential quarters, and other infrastructure required as per Minimum Standard Requirement Regulations is made available in an area of not less than 10 acres based upon the permissible FAR/FSI allowed by the competent authority.”

5. In Clause 2(5) under the heading “qualifying criteria”, the following proviso shall be added :—

“Provided that in North Eastern States and Hill States, the beds strength required at the time of inception shall be 200 beds, which shall be increased to 400 beds at the time of recognition for a medical college having annual intake of 50 students and it shall be 250 beds at the time of inception which shall be increased to 500 beds at the time of a recognition for a medical college having annual intake of 100 students.”

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.  
[ADVT. III/4/Exty./100/09]

**Foot Note** :—The Principal Regulations namely, “Establishment of Medical College Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 28th August, 1999, *vide* Medical Council of India Notification No. 34(41)/98-Med. and amended *vide* notification 7th October, 1999, 14th August, 2000, 29th July, 2008 and 22nd October, 2009.